सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-340/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 04 सितम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- गम्भीरपुर

अपहृता की बरामदगी के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमती वेला देवी W/O स्व0 लालचन्द थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ की नाबालिक पुत्री जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है को गाँव का ही प्रदीप S/O देवकी विन्द दिनांक 18.8.19 को समय करीब चार बजे भोर मे बहला फुसला कर भगा ले गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 164/19 धारा 363,366 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में आज दिनांक 04.09.2020 को उ0नि0 मिथिलेश कुमार तिवारी मय हमराह का 0 अरविन्द कुमार म 0का0 गरिमा सिंह व अपहृता के भाई सोहन पुत्र स्व0 लालचन्द ग्राम लुहसा मुबारकपुर थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ के क्षेत्र में मय हमराह फोर्स के साथ कोविड – 19 महामारी कोरोना वायरस के सन्दर्भ में क्षेत्र में घुम घुम कर बिना मास्क के घुम रहे व्यक्तियो / वाहन सवार के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही थी। कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वादीनी मुकदमा श्रीमती बेला देवी का लड़का सोहन पुत्र स्व0 लालचन्द्र नें आकर बताया कि मेरी बहन गुड्डी जो बिगत वर्ष पहले मेरे ही गाँव के लड़के प्रदीप पुत्र देवकी के द्वारा बहला फुसला कर भगाकर ले गया था। वह अपने मौसा मोतीलाल पुत्र स्व0 बदरी से मिलने के लिए गम्भीरपुर में आया था जो अपने मौसा से मिलकर कही जाने की फिराक में सैनिक ढाबा के पास फरिहा रोड़ पर खड़ा है जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है। कि इस सूचना पर तत्काल हस्बुल तलब म0का0 गरिमा सिंह को पूर्व में तलब किया गया। जिनको साथ लेकर मय हमराह फोर्स व अपहृता के भाई सोहन को साथ लेकर क्षेत्र से रवाना होकर सैनिक ढाबा के पास पहुँचा तो अपहृता का भाई सोहन पीड़िता गुड्डी व अभियुक्त प्रदीप पुत्र देवकी जो फरिहा रोड़ पर खड़े थे। दौड़कर उनके पास चिल्लाते हुए कहने लगा साहब यही मेरी बहन है। तथा यही प्रदीप है जो वर्ष 2019 में मेरी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। कि मै विवेचक मय हमराह फोर्स से अभियुक्त प्रदीप पुत्र देवकी निवासी लुहसा मुबारकपुर थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ जो मु0अ0सं0 164/19 धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त है। कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 09.15 बजे हिरासत पुलिस लिया गया।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्त प्रदीप पुत्र देवकी ग्राम लुहसा मुबारकपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष पूछताछ में बता रहे है कि साहब मैं अपने ही गांव की लड़की गुड्डी पुत्री स्व0 लालचन्द से विगत वर्षो से प्रेम करता था तथा शादी करने के लियें मैं उसकी रजामन्दी से उसको भगा ले गया था हम दोनो पति पत्नी के रुप में बहराईच में रह रहे थे। कि हमारे मौसा की तबियत खराब होने पर चोरी चोरी उनको देखने के लिये आये थे कि किसी ने हम लोगो के आने की सूचना दे दिया तो आप लोगो के द्वारा सैनिक ढाबा फरिहा रोड के पास पकड़ लिया गया साहब हमसे व गुड्डी के संसर्ग से एक बच्चा पैदा हुआ है। इस प्रकार अपना बयान अंकित करा रहा है।

पंजीकृतअभियोग-

1- मु0अ0सं0 164/19 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तारअभियुक्त–

1- प्रदीप पुत्र देवकी निवासी लुहसा मुबारकपुर थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

बरामदगी-मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता / अपहृता की बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री मिथिलेश कुमार तिवारी मय हमराह थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़